26

निग/मा0/सतना/भू रा0/2017/3142

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0 सर्किट कोर्ट रीवा,

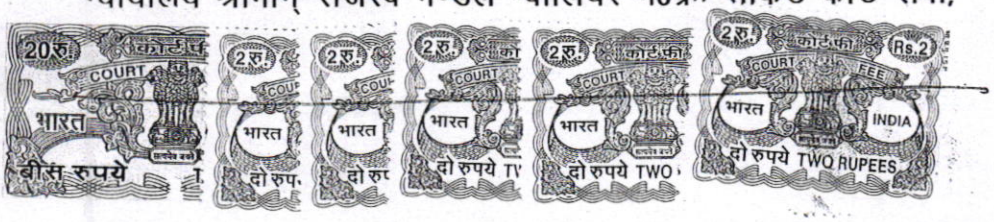

Rs.30/-

अनिल कुमार जैन पिता टेक चन्द्र जैन, निवासी–कटरा मैहर, तहसील मैहर, जिला सतना (म0प्र0) ....निगरानीकर्ता

बनाम

1. कलेक्टर / जिलाध्यक्ष सतना
2. म0प्र0 शासन द्वारा जिलाध्यक्ष सतना ....गैर निगराकार

निगरानी विरुद्ध निर्णय न्यायालय कलेक्टर जिला सतना जरिये प्रकरण क्र0 1 / पुनर्विलोकन / 2016–17 दिनांक 12.06.2017।

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्य तथ्य

1. यह निर्णय माहतह विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से त्रुटिपूर्ण है, जिससे निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि जिन तथ्यों के बावत् जिस भूमि पर हार्ड बाजार का निर्माण किया जा रहा है, उन भूमियों पर पूर्व से सड़क एवं अन्य ग्रामों के पहुँच मार्ग का बीचो–बीच से रास्ता है तथा शासकीय अभिलेखों में रास्तो का है, साथ ही बीच से सड़क होने के कारण दो भागों में भूमि स्थिति है, जिस पर हार्ड बाजार का निर्माण कराया जाना संभव नहीं है, साथ ही भूमि की नैवइत परिवर्तन नहीं की जाती, तब तक हार्ड बाजार का निर्माण कराया जाना शासकीय गाइड लाइन तथा विधि के विपरीत है कि उक्त बातों को बिना गौर के हार्ड बाजार का निर्माण कार्य का प्रस्ताव गलत तैयार कर हार्ड बाजार का निर्माण कराया जाना उचित होने की मान्यता दी गई थी, जिसके बावत् मुख्य कार्यपालन अधिकारी मैहर द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज कराने का भी निर्देश दिया गया था, जिनके विरुद्ध निगरानीकर्ता द्वारा जिलाध्यक्ष सतना के यहाँ प्रश्न उठाया गया है, जिसको मान्य न

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन–निगरानी/सतना/भू.रा./2017/3642

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-4-18	निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये हैं। यह निगरानी कलेक्टर जिला सतना व्दारा प्रकरण कमांक 1/2016–17 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 12–6–17 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव कलेक्टर सतना के आदेश दिनांक 12–6–17 के अवलोकन से परिलक्षित है कि माननीय उच्च न्यायालय की रिट पिटीशन कमांक 699/2015 में पारित आदेश दिनांक 7–4–2015 के पालन में कलेक्टर सतना ने प्रकरण कमांक 47 अ–74/2015–16 में आदेश दिनांक 6–4–2016 पारित किया है जिसके पुनरावलोकन हेतु आवेदक व्दारा आवेदन देने पर कलेक्टर सतना ने आदेश दिनांक 12–6–17 से पुनरावलोकन आवेदन निरस्त किया है। आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को के कम में प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन हेतु निम्न आधार बताये गये हैं :– 1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके व्दारा पेश नहीं की जा सकती थी, या, 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदकगण के अभिभाषक कलेक्टर सतना के समक्ष एंव इस न्यायालय में यह समाधान नहीं करा सके हैं कि कलेक्टर सतना व्दारा आदेश दिनांक 6–4–2016 पारित करते समय ऐसी कौनसी प्रत्यक्ष दर्शी भूल की गई है अथवा उनके व्दारा ऐसा कौनसा अभिलेख शोध कर लिया गया है, जो तत्समय आदेश पारित करने के	

पूर्व प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। पुनरावलोकन आवेदन के आधार समाधानकारक न होने से कलेक्टर सतना ने पुनरावोकन आवेदन निरस्त किया है, जिसमें किसी प्रकार की कमीवेशी नहीं पाई गई है। फलस्वरूप निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य